न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 50/20
1–करनसिंह पि0 मु0 घीसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूडाका तहसील कामां जिला डीग
2–रामदयाल पुत्र विश्राम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूडाका तहसील कामां जिला डीग

वादीगण

बनाम

1–समन्दर पुत्र नन्दा जाति मीणा निवासी गयाकुण्ड मौहल्ला कस्बा कामां तहसीलदार कामां (डीग)
2–मानू पुत्र चुन्नी जाति मीणा निवासी गयाकुण्ड मौहल्ला कस्बा कामां तहसीलदार कामां (डीग)
3–होती पुत्र चुन्नी जाति मीणा निवासी गयाकुण्ड मौहल्ला कस्बा कामां तहसीलदार कामां (डीग)
4–मदन पुत्र मोहनलाल जाति गूर्जर निवासी गयाकुण्ड मौहल्ला कस्बा कामां तहसीलदार कामां (डीग)
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
1–श्री राजेन्द्र प्रसाद श

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 128, आर0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 28.08.2023

वादीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0ए के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा संख्या 268 रकवा 0.32, हैक्टर वाके ग्राम भूडाका तहसील कामां में स्थित है । आराजी मुतदाविया वादीगण के कब्जेकाश्त व सहखातेदारी की आराजी है । जिस पर वादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से ही आराजी मुत0 पर वहिस्सा बराबर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में फसल काश्तकार उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं । आज भी वादीगण आराजी मुत0 के वाहिस्सा बराबर के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है । आराजी मुत0 के तरफ पूरव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का खेत है एवं तरफ पश्चिम दिशा प्रतिवादी नं0 4 का खेत है । तरफ उत्तर से दक्षिण दिशा कामां से वास करमूका को जाने वाली सडक निकाली गई जिसकी वजह से आराजी मुत0 के रकवा 0.32 एयर के दो भाग व तरफ पूरव व तरफ पश्चिम हो गये जिसका नजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने एक राय मशवरा कर आराजी खसरा नम्बर 268 के सडक के पूर्वी रकवा को प्रतिवादीगण नं0 1,2,3, ने अपनी अन्य आराजी के रकवा में मिलाकर जोत दिया और प्रतिवादी नं0 4 ने पश्चिमी हिस्सा के रकवा को अपनी खातेदारी के रकवा में मिलाकर जोत लिया था जिस पर काफी विवाद होने पर दिनांक 18.6.2019 को तहसीलदार कामां द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के रकवाओं के निशानात लगवाए दिये गये, परन्तु प्रतिवादीगण के रकवाओं के निशानात लगवाए दिये गये परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिनांक 18.6.2019 को कायम किये गये । निशानात मेढों को उखाडकर फेंक दिया और प्रतिवादीगण 1, 2, 3, ने पूर्वी हिस्सा के रकवा पर व प्रतिवादी नं0 4 ने पश्चिमी हिस्सा के रकवा पर कब्जा कर लिया । वादीगण ने पैमाइश हो जाने के बाद प्रतिवादीगण से आराजी खसरा नम्बर 268 के रकवा पर कब्जा करने से मना कर दिया । एवं प्रतिवादीगण से आराजी मुत0 के रकवा के कब्जा छोडने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने आराजी मुत के पूर्वी हिस्सा से प्रतिवादीगण 1,2,3, ने तथा पश्चिमी हिस्सा के रकवा से प्रतिवादी नरं0 4 ने कब्जा छोडने से साफ इन्कार कर दिया । प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी के रकवा पर अतिकमी की हैसियत से काबिज है जिससे वादीगण को सख्त हक तलफी है । विधि वजह वादीगण प्रतिवादीगण नं0 1,2,3, को आराजी खसरा नम्बर 268 रकवा 0.32 एयर के पूर्वी रकवा से एवं प्रतिवादी नं0

उपखण्ड अधिकारी

n

4 को पश्चिमी रकवा से जरिये अदालत बेदखल कराकर प्रतिवादीगण नं0 1,2,3 से पूर्वी हिस्सा के रकवा पर एवं प्रतिवादी नं0 4 से पश्चिमी हिस्सा के रकवा पर कब्जा वापिस प्राप्त करने के अधिकारी है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण नं02 लगायत 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नही आये । अनुपस्थित किया गया । तथा 1 व 05 जबाव पेश नहीं किया । जबाव बन्द किया गया । वादीगण ने अपने साक्ष्य में करनसिंह पुत्र पि0मु0 घीसा जाति गूर्जर निवासी ग्राम भूडाका , बलराम पुत्र चुन्नीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम भूडाका , भैरोंसिंह पुत्र रणधीर जाति गूर्जर निवासी ग्राम भूडाका ने शपथ पत्र पेश किया कि विवादित आराजी के पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण नं0 1,2,3 व पश्चिम दिशा में प्रतिवादी नं0 4 के डौल खेत लगे हुए है । विवादित आराजी में से करमूका जाने वाली सडक डली हुई है । जिसके विवादित आराजी दो भागो में विभाजित हो गयी है। वादीगण के पूर्वी हिस्सा के रकवा पर पातिवादी नं0 4 ने जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर रखा है । वादीगण ने मेरे सामने व बलराम के सामने प्रतिवादीगण से आराजी मुत0 पर अपना कब्जा छोडने व कब्जा वादीगण को देने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने हमारे सामने ही आराजी मुत0 पर से कब्जा छोडने व वादीगण को उनकी आराजी का कब्जा देने से साफ इन्कार कर दिया है । तहसीलदार कामां से मौके की रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार कामां ने अपने पत्र कमांक/राजस्व /23/135 दिनांक 7.2.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश की कि साविक खसरा नम्बर 268 रकवा 0.32 हैक्टर के हाल 307/0.20, 308/0.10 तथा 309/0.02, खसरा नम्बर बने हैं मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं02074-2077 के उक्त खसरा नम्बर 307/0.20 किस्म डहरी प्रथम 308/0.10 किस्म गै0मु0सडक व 309/0.02, किस्म डहरी प्रथम करनसिंह पि0मु0घीसा हिस्सा 1/2 जाति गूर्जर तथा रामदयाल पुत्र विश्राम हिस्सा 1/2 जाति गूर्जर साकिन भूडाका के नाम दर्ज है । मुताबिक मौके के आराजी खसरा 308रकवा 0.10 हैक्टर किस्म गै0मु0 सडक में मौके पर आम रास्ता है । जो कि कामां से वास करमूका की ओर जाता है । उक्त खसरा नम्बर 308/0.10किस्म गैरमुमकिन सडक के पूरव में आराजी खसरा नम्बर 309 /0.02 किस्म डहरी प्रथम तथा पश्चिम 307/0.20 किस्म डहरी स्थित है । उक्त दोनों खसरा नम्बर 307 तथा 309 में मौके पर सरसों की फसल खडी है । आराजी खसरा नम्बर 307 के पश्चिम में आराजी खसरा नम्बर 306 रकवा 1.46 किस्म चाही है । जो कि मदन पुत्र मोहन हिस्सा पूर्ण जाति गूर्जर साकिन कस्बा कामां के नाम दर्ज रिकार्ड है । मौके पर आराजी खसरा नम्बर 307/0.20 आराजी खसरा नम्बर 306/1.46 हैक्टर में मिला हुआ है जिसमें मदन पुत्र मोहन ने सरसों की फसल बो ररखी है । तथा आराजी खसरा 309 के पूरव में कस्बा कामां का रकवा है । खसरा नम्बर 309 रकवा 0.02मौके पर कस्बा कामां के रकवे में मिला हुआ है । तथा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने अवगत कराया कि समन्दर पुत्र नन्दा जाति मीण निवासी गयाकुण्ड कामां के द्वारा जोता हुआ है ।
वादी ने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी सं0 2070-2073 व नक्शा ट्रेस, 2074-2077, मिलान खसरा नम्बर, नक्शा ट्रेस सलग्न किया है ।

हमने वादीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में दावे में लिखित तथ्यों को दोहराया । आराजी मुत0 के तरफ पूरव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का खेत है एवं तरफ पश्चिम दिशा प्रतिवादी नं0 4 का खेत है । तरफ उत्तर से दक्षिण दिशा कामां से वास करमूका को जाने वाली सडक निकाली गई जिसकी वजह से आराजी मुत0 के रकवा 0.32 एयर के दो भाग व तरफ पूरव व तरफ पश्चिम हो गये जिसका नजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने एक राय मशवरा कर आराजी खसरा नम्बर 268 के सडक के पूर्वी रकवा को प्रतिवादीगण नं0 1,2,3, ने अपनी अन्य आराजी के रकवा में मिलाकर जोत दिया और प्रतिवादी नं0 4 ने पश्चिमी हिस्सा के रकवा को अपनी खातेदारी के रकवा में मिलाकर जोत लिया था जिस पर काफी विवाद होने पर दिनांक 18.6.2019 को तहसीलदार कामां द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के रकवाओं के निशानात लगवाए दिये गये, परन्तु प्रतिवादीगण के रकवाओं के निशानात लगवाए दिये गये परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिनांक 18.6.2019 को कायम किये गये । निशानात मेढों को उखाडकर फेंक दिया और प्रतिवादीगण 1, 2, 3, ने पूर्वी हिस्सा के रकवा पर व प्रतिवादी नं0 4 ने पश्चिमी हिस्सा के रकवा पर कब्जा कर लिया । वादीगण ने पैमाइश हो जाने के बाद प्रतिवादीगण से आराजी खसरा नम्बर 268 के रकवा पर कब्जा करने से मना कर दिया । एवं प्रतिवादीगण से आराजी मुत0 के रकवा के कब्जा छोडने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने आराजी मुत के पूर्वी हिस्सा से प्रतिवादीगण 1,2,3, ने तथा पश्चिमी हिस्सा के रकवा से प्रतिवादी नरं0 4 ने कब्जा छोडने से साफ इन्कार कर दिया । प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी के रकवा पर अतिकमी की हैसियत से काबिज है जिससे वादीगण को सख्त हक तलफी है । विधि वजह वादीगण प्रतिवादीगण नं0 1,2,3, को आराजी खसरा नम्बर 268 रकवा 0.32 एयर के पूर्वी रकवा से एवं प्रतिवादी नं0 4 को पश्चिमी रकवा से जरिये अदालत बेदखल कराकर प्रतिवादीगण नं0 1,2,3 से पूर्वी हिस्सा के रकवा पर एवं प्रतिवादी नं0 4 से पश्चिमी हिस्सा के रकवा पर कब्जा वापिस दिलाया जावे । तहसीलदार कामां

की रिपोर्ट साविक खसरा नम्बर 268 रकवा 0.32 हैक्टर के हाल 307/0.20, 308/0.10 तथा 309/0.02, खसरा नम्बर बने हैं मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं02074–2077 के उक्त खसरा नम्बर 307/0.20 किस्म डहरी प्रथम 308/0.10 किस्म गै0मु0सडक व 309/0.02, किस्म डहरी प्रथम करनसिंह पि0मु0घीसा हिस्सा 1/2 जाति गूर्जर तथा रामदयाल पुत्र विश्राम हिस्सा 1/2 जाति गूर्जर साकिन भूडाका के नाम दर्ज है। मुताबिक मौके के आराजी खसरा 308रकवा 0.10 हैक्टर किस्म गै0मु0 सडक में मौके पर आम रास्ता है। जो कि कामां से वास करमूका की ओर जाता है । मौके पर आराजी खसरा नम्बर 307/0.20 आराजी खसरा नम्बर 306/1.46 हैक्टर में मिला हुआ है जिसमें मदन पुत्र मोहन ने सरसों की फसल बो ररखी है। तथा आराजी खसरा 309 के पूरव में कस्बा कामां का रकवा है । खसरा नम्बर 309 रकवा 0.02मौके पर कस्बा कामां के रकवे में मिला हुआ है । तथा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने अवगत कराया कि समन्दर पुत्र नन्दा जाति मीण निवासी गयाकुण्ड कामां के द्वारा जोता हुआ है । इसी प्रकार वादीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 268/0.32 हैक्टर वाके ग्राम भूडाका तहसील कामां के वतरफ सडक के पूर्वी रकवा से प्रतिवादीगण नं01,2,3 को एवं सडक के तरफ पश्चिम रकवा से प्रतिवादी नं0 4 को बेदखल किया जाकर प्रतिवादीगण नं0 1,2,3, से पूर्वी रकवा पर एवं प्रतिवादी नं0 4 से पश्चिमी हिस्सा के रकवा पर कब्जा वापिस वादीगण को दिलाया जानी की डिकी किया जाना उचित है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि दावा डिकी किया जाता है कि वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 268/0.32 हैक्टर वाके ग्राम भूडाका तहसील कामां के तरफ सडक के पूर्वी रकवा से प्रतिवादीगण नं0 1,2,3,को एवं सडक के वतरफ पश्चिम रकवा से प्रतिवादी नं 4 को बेदखल किया जाता है । तथा प्रतिवादीगण नं0 1,2,3 से पूर्वी रकवा पर एवं प्रतिवादी नं 4 से पश्चिम हिस्सा के रकवा पर कब्जा वापिस दिलाया जावे । प्रतिवादीगण नं01,2,3,व 4 को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी की आराजी से मजाहमत व मदाख्ञात न करें । प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी कामां (डीग)